

## हिन्दी प्रादेशिक समाचार

### आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 6 अक्टूबर 2023, समय 1305 (5 मिनट))

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियां पिछले नौ वर्षों में देश में हर प्रकार के आतंकवाद पर मज़बूती से अंकुश लगाने में सफल रही हैं।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण(NIA) द्वारा आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने अभिकरण के तहत आदर्श आतंकवाद विरोधी संरचना स्थापित करने का आह्वान किया। श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए राज्यों में सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों की जांच संबन्धी मानक संचालन प्रक्रिया और संरचना को एक समान बनाया जाना चाहिए।

गृहमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को आतंकवादियों पर इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई नया आतंकी संगठन न बन सके।

उन्होंने कहा कि, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, आतंकवाद निरोधक दस्ते और विशेष कार्य बलों का काम केवल जांच तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें आतंकवाद से निपटने के लिए लीक से हटकर सोचना चाहिए और उसी के अनुसार कदम उठाने चाहिए।

गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ज़मीन से लेकर वैश्विक स्तर तक सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद से जुड़ी सभी चुनौतियों पर सख्त रुख अपनाया है और इसके अच्छे परिणाम मिले हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राप ने अधिकारियों से फसल अवशेषों को आग लगाने वाले किसानों व नागरिकों के खिलाफ नियमानुसार

प्राथमिकी दर्ज करवाने और उनके नाम पंचायत घर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कल शाम कुरुक्षेत्र में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और सभी अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने तथा अपने अपने खंडों एवं उपमंडलों में फ्लैग मार्च निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में फसल अवशेषों पर आग लगाने की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए सभी अधिकारी गांवों में जायें और किसानों को फसल अवशेषों में आग लगाने से होने वाले नुकसान और फसल अवशेष प्रबंधन के बारे सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जागरूक करें।

.....

प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जींद के जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर धारा 144 के तहत रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि ई-कॉमर्स कंपनियों को भी पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधीश द्वारा यह आदेश पटाखों के उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री सहित इस्तेमाल संबंधी नियमों व अधिनियम तहत जारी किए गए हैं। जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी पुलिस सहित नगर परिषद को भी दी गई है।

.....

आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा "मेरी माटी मेरा देश अभियान" के तहत अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है:- देश के महान क्रांतिकारी चन्द्र शेखर आज़ाद ने कौन-सा नारा दिया था?

प्रश्न एक बार फिर से सुन लें:- देश के महान क्रांतिकारी चन्द्र शेखर आज़ाद ने कौन-सा नारा दिया था?

अपने उत्तर [newsairchd@gmail.com](mailto:newsairchd@gmail.com) पर तुरंत मेल करें।

कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है:- किसानों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को "किसान घाट" कहा जाता है ।

इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं:- पंजाब के मलेरकोटला से आशिमा।

.....  
कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भोरिया ने जिला कुरुक्षेत्र के सभी आटो रिक्शा चालको को अपने आटो रिक्शा पर विशेष नम्बर वाला स्टीकर लगाने के निर्देश दिये हैं।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आटो चालकों को 04 अंक का विशेष नम्बर दिया जाएगा जिसमे आटो चालक व संचालक की पूर्ण जानकारी होगी। यह डाटा डायल 112 के साथ भी सांझा किया जाएगा ताकि पुलिस के पास पूरा रिकार्ड रहे। उन्होंने बताया कि हर आटो पर तीन स्टीकर लगाए जाएंगे। एक स्टीकर आगे, एक पीछे और एक आटो के अन्दर होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आटो में यात्रा करते समय कभी कोई वारदात या अप्रिय घटना होती है तो आटो में सवार महिला अंदर से उस विशेष नम्बर की फोटो क्लिक कर 112 ऐप पर सूचित कर सकती हैं।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिलाएं व लडकियां आटो में सवारी करते समय विशेष कर रात्रि के समय असुरक्षित महसूस करती हैं।

कई बार आटो में छोटी-मोटी घटनाएं हो जाती लेकिन सवारियों को आटो नम्बर याद नहीं रहता या आटो नम्बर ऐसी जगह होता है जो सवारियों को दिखाई नहीं देता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा व अपराधो की रोकथाम के लिए यह विशेष कदम उठाया गया है।

.....